(क) जनपद देवरिया में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किये गये धान का शत प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में करा दिया गया है। शेष अन्य सम्भागों की स्थिति निम्नवत् है:-

सम्भाग मेरठ, देवीपाटन, बस्ती, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी, विन्ध्यांचल, आजमगढ़, कानपुर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, वाराणसी एवं मुरादाबाद के समस्त जनपदों में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान का शत प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से करा दिया गया है।

सम्भाग लखनऊ के जनपद लखीमपुरखीरी को छोड़कर शेष अन्य जनपदों यथा- लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई व सीतापुर में उक्त खरीफ वर्ष में कृषकों से क्रय किये गये धान का शत प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से करा दिया गया है। लखीमपुरखीरी में एक किसान का भुगतान नाम मिस्मैच के कारण लम्बित है।

उक्त कृषक का भुगतान समयान्तर्गत पूर्ण न करने व लम्बित रहने के दृष्टिगत केन्द्र प्रभारी श्री कृष्ण प्रकाश, विपणन निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जा चुकी है।

सम्भाग गोरखपुर में जनपद महराजगंज को छोड़कर शेष अन्य जनपद यथा- देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर में उक्त खरीफ वर्ष में समस्त कृषकों के बिक्रीत धान के मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। जनपद महराजगंज में पंजीकृत समिति के कुल 94 कृषक एवं एफ0पी0सी0 के 51 कृषकों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त जनपद महराजंगज में अन्य सभी कृषकों का भुगतान किया जा चुका है।

(ख) सम्भाग लखनऊ के जनपद लखीमपुरखीरी के लम्बित भुगतान वाले कृषक द्वारा दिये गये परिवर्तित खाते को फीड कराने के पश्चात पी0एफ0एम0एस0 सत्यापन में नाम मिस्मैच प्रदर्शित हो रहा है तथा कृषक द्वारा नया खाता खुलवाने से मना कर दिया गया है। उक्त कृषक का भुगतान एक सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद महराजगंज में पंजीकृत सहकारी समिति एवं एफ0पी0सी0 के कुल 145 किसानों के लम्बित भुगतान वास्तव में लम्बित नहीं हैं, बल्कि फर्जी किसानों के आई0डी0 के आधार पर अवैधानिक रूप से धान का विक्रय दिखाकर क्रय संस्था आदर्श उपभोक्ता सहकारी समिति लि0 शिकारपुर महराजगंज एवं क्रय संस्था आशुतोष फॉरमर प्रोड्यूसर कम्पनी लि0 भिटौली बाजार महराजगंज द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था। वास्तविक रूप से न तो 145 किसान थे और न ही इनसे कोई धान की खरीद की गयी। उपरोक्तानुसार बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत उक्त दोनों क्रय संस्था को जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा ब्लैक लिस्ट करते हुये दिनांक 21.06.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग